



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 आषाढ 1939 (श0)

(सं0 पटना 642) पटना, बुधवार, 19 जुलाई 2017

वाणिज्य-कर विभाग

शुद्धि-पत्र

19 जुलाई 2017

एस०ओ० 119, दिनांक 19 जुलाई 2017—बिहार गजट (असाधारण अंक) में प्रकाशित एस०ओ० 65, दिनांक 29 जून, 2017 वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1/2017 राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 में,—

(i) अनुसूची I - 2.5 प्रतिशत में, क्रम संख्या 35 के स्तम्भ (3) में काफी”, चाहे भर्जित या कैफिन रहित है या नहीं” के स्थान पर काफी” भर्जित, चाहे कैफिन रहित है या नहीं पढ़ें “;

(ii) अनुसूची I - 2.5 प्रतिशत में, क्रम संख्या 103 के पश्चात, स्थापित करें-

“103(क)	2302	चोकर, तीक्ष्ण और अन्य अपशिष्ट चाहे वह गुटिका के रूप में हों या नहीं धान्य के या फलीदार पौधों के, पेषण या अन्य कार्य से व्युत्पन्न हो [जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य, सूखी घास और पुआल, दालों का अनुपूरक और भूसी, सांद्रण और योज्यक, गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया केक से भिन्न]”;
---------	------	---

(iii) अनुसूची I - 2.5 प्रतिशत में, क्रम संख्या 165 में ”2710 19 00” के स्थान पर “2711 19 00पढ़ें “;

(iv) अनुसूची I - 2.5 प्रतिशत में, क्रम संख्या 234 में ”84 या 85” के स्थान पर “84, 85 या 94पढ़ें “;

(v) अनुसूची II - 6 प्रतिशत में, क्रम संख्या 16 के पश्चात, स्थापित करें-

“16(क)	0805	निम्बुकुल फल, जैसे कि नारंगियां, मेंडारिन, (जिसे अंतर्गत टेन्जेरीन और सटसूमसयी हैं (; क्लेमेन्टाइन, विलकिंग और अन्य जैसे ही निम्बुकुल हाईब्रिड, अंगूर फल जिसके अंतर्गत पोलोस भी है, नींबू कुल नींबूनिम्बु), निम्बुकुल लिमोलमफोलियाकुलआरन्टीनिम्बु) और लाइम (, निम्बुकुल लैटिफोलिया(, शुष्कित”;
--------	------	--

(v) अनुसूची II - 6 प्रतिशत में, क्रम संख्या 47 में “2202 90 10” के स्थान पर “2202 99 10पढ़ें “;

(vi) अनुसूची II - 6 प्रतिशत में, क्रम संख्या 48 में “2202 90 20” के स्थान पर “2202 99 20पढ़ें “;

(vii) अनुसूची II - 6 प्रतिशत में, क्रम संख्या 49 में “2202 90 90” के स्थान पर “2202 99 90पढ़ें “;

(ix) अनुसूची II - 6 प्रतिशत में, क्रम संख्या 50 में “2202 90 30” के स्थान पर “2202 99 30पढ़ें “;

(x) अनुसूची IV- 14 प्रतिशत में, क्रम संख्या 163 के पश्चात, स्थापित करें-

“163(क)	8701	“अनुयान के लिए सड़क-से अधिक क्षमता के इंजन के अर्ध 1800 ट्रैक्टर”।
---------	------	--

2. यह शुद्धि-पत्र दिनांक 01 जुलाई, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध/10/2017-20)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

19 जुलाई 2017

एस०ओ० 120, एस०ओ० 119, दिनांक 19 जुलाई 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध/10/2017-20)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 19th July 2017

S.O. 119, dated the 19th July 2017—In notification number 1/2017 State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, of the Commercial Taxes Department, Government of Bihar, published in the Gazette of Bihar, Extraordinary, *vide* S.O. 65, dated the 29th June, 2017,-

(i) in Schedule I - 2.5%, in column (3) of serial number 35, for “Coffee, whether or not roasted or decaffeinated”, read “Coffee roasted, whether or not decaffeinated”;

(ii) in Schedule I - 2.5%, after serial number 103, insert-

“103A	2302	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants [other than aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed and cattle feed, including grass, hay and straw, supplement and husk of pulses, concentrates and additives, wheat bran and de-oiled cake]”;
-------	------	---

- (iii) in Schedule I – 2.5%, in Serial Number 165, for “2710 19 00”, read “2711 19 00”;
 (iv) in Schedule I – 2.5%, in Serial Number 234, for “84 or 85”, read “84, 85 or 94”;
 (v) in Schedule II – 6%, after serial number 16, insert-

“16A	0805	Citrus fruit, such as Oranges, Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, Grapefruit, including pomelos, Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), dried” ;
------	------	--

- (vi) in Schedule II – 6%, in Serial Number 47, for “2202 90 10”, read “2202 99 10”;
 (vii) in Schedule II – 6%, in Serial Number 48, for “2202 90 20”, read “2202 99 20”;
 (viii) in Schedule II – 6%, in Serial Number 49, for “2202 90 90”, read “2202 99 90”;
 (ix) in Schedule II – 6%, in Serial Number 50, for “2202 90 30”, read “2202 99 30”;
 (x) in Schedule IV –14%, after serial number 163, insert-

“163A	8701	Road tractors for semi-trailers of engine capacity more than 1800 cc”.
-------	------	--

2. This corrigendum shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017
 [(File No. Bikri-kar/GST/vividh-10/2017—20)]

By the order of Governor of Bihar,
 Sujata Chaturvedi,
 Commissioner-cum-Principal Secretary,
 Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 642-571+10-डी0टी0पी0।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>